"Only Knowledge can provide salvation"

केशव महाविद्यालय

नैक से मान्यता प्राप्त 'ए' ग्रेड चक्र-2

एच-4-5 ज़ोन, सैनिक विहार, पीतमपूरा, दिल्ली, 110034

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

राष्ट्रीय सेवा योजना

(एनएसएस)

तेज़ाब हमला सत्र

8 फ़रवरी 2023

राष्ट्रीय सेवा योजना

तेज़ाब हमला सत्र

तेज़ाब हमला हिंसा का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी व्यक्ति को अपंग करने, प्रताड़ित करने या मारने के इरादे से तेज़ाब या अन्य संक्षारक पदार्थ से हमला किया जाता है। आमतौर पर महिलाएं इस प्रकार के हमला की पीड़िता होती हैं। दुख की बात यह है कि इस अपराध से संलग्न मामलों की संख्या विशेष रूप से भारत में कम नहीं हो रही है, अगर कुछ घट रही है तो वो इन अपराधों के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की संख्या है। यह स्पष्ट है कि सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ इस प्रकार के अपराधों को बहुत हद तक कम कर सकती हैं।

(कार्याक्रम का पोस्टर)

इन मामलों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, **आईक्यूएसी के तत्वावधान में केशव महाविद्यालय की एनएसएस इकाई और महिला विकास प्रकोष्ठ** ने 8 फरवरी 2023 को तेज़ाब हमले पर कानूनी जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र में वक्ता एवं एडवोकेट तरुण वालिया, जो पिछले 16 वर्षों से जिले के साथ-साथ देश भर के उच्च न्यायालयों में आपराधिक वकील हैं, को तेज़ाब हमले से संबंधित कानूनी पहलुओं के बारे में छात्रों को शिक्षित करने हेतु आमंत्रित किया गया था। वालिया जी DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) के पैनल वकील भी हैं। इस सत्र में वृत्तचित्रों की मदद से, उन्होंने ऐसे अपराधों से निपटने के अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया और छात्रों को तेजाब हमले के अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता के कानूनों एवं अधिनियमों के बारे में जागरूक किया। इस सत्र में महाविद्यालय के छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और बहुत सी जानकारी प्राप्त की।

(कार्यक्रम की तस्वीरें)